

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

संख्या: 1897/आब0लि0/ व्यवस्थापन / ई-लाटरी/ 2018-19

दिनांक: 03 मार्च 2018

संशोधित विज्ञापित

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु आश्रयक सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 07-/2018/ई-2/तेरह-2018-46/2016 दिनांक 25-1-2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के क्रम में जारी इस कार्यालय कि विज्ञापित संख्या संख्या: 1509 /आब0लि0/ व्यवस्थापन / ई-लाटरी/ 2018-19 दिनांक: 16 फरवरी 2018 में आबकारी आयुक्त उ0प्र0 के कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापित संख्या 43213-287/दस -लाईसंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक मार्च 01-2018 के अनुसार आंशिक संशोधन किए गये है जो निम्नवत है :-

जनपद की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों व माडल शाप्स अनुज्ञापनों के वर्ष 2018-2019 हेतु संशोधित समय-सारणी।

क्र0सं0	प्रथम चरण	संशोधित तिथि
	जनपद की सभी देशी शराब विदेशी मदिरा, बीयर, की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की फीस भुगतान करने हेतु अंतिम तिथि (यह सुविधा उन्ही आवेदको के लिए है जिनके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 28-02-2018 को सायं 7:00 बजे की पूर्व निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन आवेदन भर दिये गये थे)। नोट:- ऐसे आवेदक जिन्हे किन्ही तकनीकी कारणों से अपने किये गये भुगतान का कन्फर्मेशन उनके लॉगिन से नही दिख रहा होगा। उनको पेमेन्ट का यूनिक-ट्रान्जेक्शन नम्बर ( UTR Number) अपने लॉगिन में भरने की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी।	दिनांक 3-03-2018 सायं 17:00 बजे तक
3	ई-लाटरी हेतु आवेदनों पत्रों का परीक्षण	04-03-2018 से 07-03-2018 तक
4	ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	08-03-2018 को प्रातः 11:00 बजे से डी0आर0डी0ए0 स्थित गांधी सभागार।

क्र0सं0	द्वितीय चरण	तिथि
1	उपरोक्तानुसार ई-लाटरी के पश्चात अवशेष देशी शराब विदेशी मदिरा, बीयर, की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन ई-लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के प्रकरण में प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगने एवं ई-लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनांक 09-3-2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर दिनांक 13-3-2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक और ई-लाटरी दिनांक 17-03-2018 को प्रातः 11:00 बजे तक।	03-3-2018 को प्रातः 10:00 बजे से
	द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 13-03-2018 अपरान्ह 19:00 बजे तक।
3	द्वितीय चरण में ई-लाटरी हेतु आवेदनों पत्रों का परीक्षण	14-03-2018 से 16-03-2018 तक



4	द्वितीय चरण में ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	17-03-2018 को प्रातः 11:00 बजे से डी0आर0डी0ए0 स्थित गांधी सभागार।
---	--	--

*[Handwritten Signature]*  
17/03/18

दिलीप कुमार मणि तिवारी  
जिला आबकारी अधिकारी  
बाराबंकी

*[Handwritten Signature]*  
17/03/18

अखिलेश तिवारी  
जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी  
बाराबंकी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्पादक,दैनिक प्रमुख को इस आशय से प्रेषित कि कृपया कल दिनांक 04-03-18 को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में जनपद बाराबंकी के पृष्ठ पर प्रकाशन करने एवं प्रकाशन के उपरान्त बिल/बीजक प्रेषित करने हेतु।
- 2-जिला सूचनाधिकारी बाराबंकी।
- 3-समस्त आबकारी निरीक्षक जनपद बाराबंकी को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
- 4-नाजिर सदर,कलेक्ट्रेट,बाराबंकी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

*[Handwritten Signature]*  
जिला आबकारी अधिकारी  
बाराबंकी

3	ई-लाटरी हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-	17-03-2018 को प्रातः 11:00 बजे से
4	द्वितीय चरण में ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	17-03-2018 को प्रातः 11:00 बजे से
1	उपरोक्तानुसार ई-लाटरी की पर्याप्त आवरण वाले बाबक प्रेषित करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को सूचना देना एवं बाबक को न्यायिक प्रमाणित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।	17-03-2018 को प्रातः 11:00 बजे से
3	द्वितीय चरण में ई-लाटरी हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-	17-03-2018 को प्रातः 11:00 बजे से